॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 1754/07

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J82844

STAMP
27 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा व नगला सदौला तह0 जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 2.035 हैक्टेयर का हिस्सा 1/3
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि..2600000 / –.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2600000 / –रूपये

नि. घनश्याम

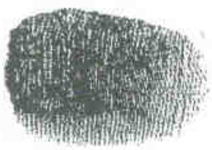

क्रमांक 51 दिनांक 29/1/07 मूल्य 20000

नाम श्री प्रदीप कुमार पुत्र S/o श्री जमुना प्रसाद

पता 111 श्री जमुनाबाग मालोनी

डी0 नरेश कुमार जाखड़ 29/1/07

सहा0 रोकड़िया

कोषागार, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182845

STAMP

27 JAN 2007

Sr. T.O. Mathura

(2)

9. स्टाम्प देय 260000/–रूपये

10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 800000/–रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा – प्रथम/द्वितीय

विकेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

घनश्याम पुत्र श्री तुलसीराम निवासी सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व उज्जवल अग्रवाल पुत्र श्री सतीशचन्द अग्रवाल निवासी मिडलेण्ड कम्पाण्ड मसानी चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

G. घनश्याम

Ujjwal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182846

STAMP
[illegible] JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

(3)

क्रेता की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद जी अग्रवाल निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

G. घनश्याम

Ujjwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182847

12 JAN 2007

S.T.O. Mathura

(4)

हमकि घनश्याम पुत्र श्री तुलसीराम निवासी सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व उज्जवल अग्रवाल पुत्र श्री सतीशचन्द अग्रवाल निवासी मिडलेण्ड कम्पाण्ड मसानी चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

[illegible]

घनश्याम

Ujjwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182848

(5)

जो कि आराजी भूमिधरी खाता नंबर–110 व खसरा नंबर–30 रकबा 2.000 हैक्टेयर स्थित मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा व खाता नबर–29 व खसरा नंबर–200 रकबा 0.017 हैक्टेयर व खाता नंबर–55 व खसरा नंबर–199 रकबा 0.018 हैक्टेयर स्थित मौजा नगला सदौला तह. व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति

G. घनश्याम

Ujjwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 182849

(6)

विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 800000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराज़ी रकवा 2.035 हैक्टेयर का हिस्सा 1/3 की स्टाम्प हेतु

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 ₹ बीस हज़ार रुपये RUPEES 20000 रुपये Rs 20000 ₹

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182850

STAMP
27 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

(7)

मालियत 2600000/-रूपया है अब बास्ते खर्च खुद अपनी उक्त आराजी रकवा 2.035 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 आराजी बेचनी आवश्यक है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने

घनश्याम Ujjwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182744

STAMP

27 JAN 2007

Sr. T.O. Mathura

(8)

का मुहायदा वै दिनांक–20.2.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3515 के सफा 249 / 264 नंबर–1713 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी रकवा 2.035 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 2600000/–छब्बीस लाख रुपया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182745

STAMP
27 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

9

जिसके आधे 1300000/–तैरह लाख रूपया होते हैं। बदस्त **प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद जी अग्रवाल निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा** के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 1800000/–रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक बी0एस0ए0 कालेज मथुरा शाखा के दो किता चैक प्रथम नंबर–421954 व द्वितीय नंबर–421955 प्रत्येक चैक तादादी 900000/–रूपये दोनों दिनांक–29.1.2007 द्वारा पाये व 800000/–रूपये पहले प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/3 पर खरीदार का बाकई कब्जा व

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182746

JAN 2007

10

कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/3 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/3 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा

Ujjwal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182747

12 07 JAN 2007

11

खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से वं उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता

Ujjwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182748

STAMP
27 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

12

के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश 2.035 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 भूमि बेची है। तस्दीक मुख्तारनामा आम दिनांक–9.12.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–6 जिल्द 1 के सफा 27 नंबर–6 पर दिनांक–9.12.2004 हुआ, रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद जी निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराह, मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

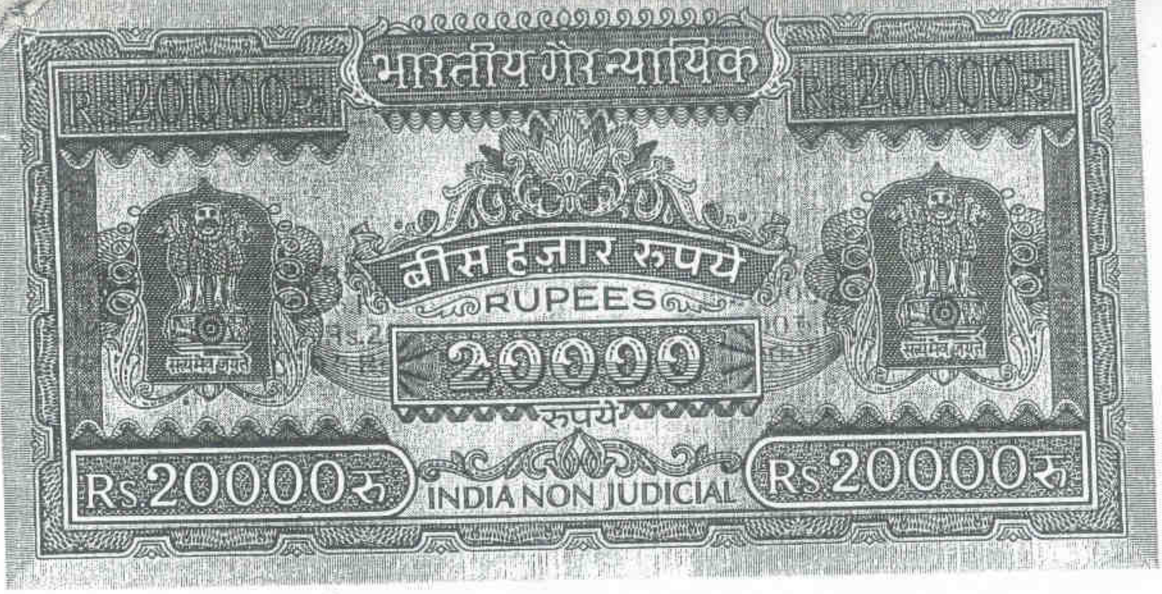

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 182749

STAMP
27 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

13

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

नोट : सफा 4 की लाइन 5 लगायत अन्तिम पूरी टाईप से कटी है।

दिनांक— 29.1.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

क्रमांक 53 दिनांक 29.1.07 मूल्य ...

नाम श्री................................पुत्र..........

पता.........................

डॉ० नरेश कुमार जाकड़
सहा० रोकड़िया
कोषागार, मथुरा

आज दिनांक **29/01/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **4118**

पृष्ठ सं. **327** से **354** पर कमांक **1254**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
29/1/2007